तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज चैनसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 165 / 2019	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चैनसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी तापू तहसील औसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.07.19 में उसके द्वारा (1) दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा –दावा नं0 321 / 2002 रामसिंह वगैरा बनाम हनुमानसिंह वगैरा में फार्म नं. 3 की सम्पूर्ण प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि गिरदावरी फीस की रसीद वंवत 2013 से 2014 तक की व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम व उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1545 दिनांक 05.09.19 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित प्रार्थना पत्र कार्यालय में दायर पंजिका में दर्ज नहीं हुआ है, न आवक शाखा में दर्ज हुआ है इस कार्यालय सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। उपखण्ड अधिकारी औसियां से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 1 ता 5 से संबंधित सूचना तहसील कार्यालय से संबंधित है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी औसियां को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की सूचना संबंधित तहसीलदार से प्रार्थी को 15 दिवस में दिलवाई जाय, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।	